जल जीवन हरियाली योजना–बिहार

अनिल सक्सेना
गया (बिहार)

क्या है जल जीवन हरियाली योजना

सभी जानते हैं कि एक पेड़ एक साल में 20 किलो धूल सोखता है। 700 किलो ऑक्सीजन छोड़ता है तो 20 हजार किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। गर्मियों में एक पेड़ के पास सामान्य से लगभग 4 डिग्री कम तापमान रहता है। इस तरह घर के पास 10 पेड़ लगे हों तो आदमी की उम्र 7 साल तक बढ़ जाएगी। इसलिए पर्यावरण संतुलन, पर्याप्त जल और हरित आवरण बढ़ाने के लिए बिहार राज्य में जल–जीवन–हरियाली अभियान शुरू किया गया। इस योजना के तहत बारिश के पानी को तालाब और मेड़ में संचित करना है, जिससे फसलों की सिंचाई हो सके। इस योजना की खास बात यह है कि तालाब की मेंड़बंदी के ऊपर पेड़–पौधों की बुवाई होती है।

जल–जीवन–हरियाली कार्यक्रम

2019 ई0 में बिहार के अभूतपूर्व जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण के तात्कालिक और दूरगामी लक्ष्यों को सामने रखकर राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना ''जल–जीवन–हरियाली'' के नाम से शुरू की है। ''जल–जीवन–हरियाली'' अभियान को मिशन मोड में लागू करने, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने तथा नियमित अनुश्रवण के लिए इसका निबन्धन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत कराया जा रहा है। इसके क्रियान्वयन पर 24,524 करोड़ रूपये खर्च किए जायेंगे। ग्रामीण विकास विभाग को इस हेतु नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। केन्द्र सरकार ने भी देश के बिहार सहित 27 राज्यों को क्षतिपूरक वनीकरण योजना में वृक्षारोपण हेतु 47,436 करोड़ रू0 निर्गत किए हैं।

जल संकट को देखते हुए राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने 100 वर्गमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाले सभी निजी मकानों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने वाले भवनों को सील किया जायेगा। परन्तु इससे पहले हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए 30 दिनों का समय दिया जायेगा। नये भवनों का नक्शा पास कराने के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रावधान अनिवार्य होगा। यह नया आदेश सरकारी निजी एवं वाणिज्यिक सभी तरह के भवनों पर लागू होगा। 15 मीटर ऊँचे व 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले वाणिज्यिक भवनों के लिए यह प्रावधान अगस्त 2019 से लागू किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत शुरू की गयी इस योजना के अंतर्गत नगर विकास विभाग ने बिल्डिग बाइलॉज में संशोधन कर सभी निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों के लिए यह अनिवार्य किया है। सरकार ने रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने वाले मकानों को सम्पति कर में–पांच प्रतिशत छूट देने का भी निर्णय किया हैं जो सभी नगर निकायों पर लागू होगा।

भूगर्भीय एवं वर्षाजल को बचाने के दृष्टिकोण से राज्य की प्रमुख छोटी नदियों पर ''चेक डैम'' व वीयर सदृश जल संरचनाएँ बनायी जायेंगी। चेक डैम वह संरचना है जिसे किसी भी झरने नाले या छोटी नदी के जल प्रवाह की उल्टी दिशा में खड़ा किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य वर्षा के अतिरिक्त जल को बांधना होता है। यह पानी बरसात के दौरान या उसके बाद भी इस्तेमाल हो सकता है एवं इससे भूजल का स्तर बढ़ता है। पहाड़ी–पठारी इलाकों में नदी–झरनों, नालों आदि पर ऐसी संरचनाएँ बनाने पर विशेष जोर है। वन क्षेत्रों के लिए वन प्रमण्डल पदाधिकारी कार्ययोजना बनायेंगे और कार्यान्वयन पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग करेगा। समतल क्षेत्रों में यह काम लघु जल संसाधन, कृषि व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जायेगा, जिलों में उपलब्ध सर्वे

मानचित्र एवं गूगल मैप के सहारे सभी जल संरचनाओं की पहचान की जायेगी। इसके साथ ही राज्य भर में सभी शहरों एवं गावों में तालाबों, आहर, पइन तथा कुओं समेत ऐसे सभी जलस्रोतों को अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्णय किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी कुएँ एवं चापाकल ठीक से काम करें। इनके आसपास सोख्ते बनाए जायेंगे।

बिहार सरकार प्रतिवर्ष 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाती है। इस वर्ष इस अवसर पर लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े 11 सूत्री संकल्प दिलाए गए (सारणी–1)। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों की ओर से तैयार किए गए जल जीवन हरियाली के प्रतीक चिह्न (स्वहव) एवं जलजीवन हरियाली, तभी होगी खुशहाली नामक नारा का लोकार्पण किया।

सारणी संख्या 1–जल–जीवन –हरियाली अभियान के अन्तर्गत 11 सूत्री कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य

- तालाब, पोखर, आहर, पइन, आदि सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं की अतिक्रमण से मुक्ति करना।
- तालाब, पोखर, आहर, पइन, आदि सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार।
- सभी सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करना।
- सार्वजनिक कुंआ, चापाकल और नलकूपों के किनारे सोख्ता बनाना।
- छोटी नदियों, नालों और पहाड़ी इलाकों में चेकडैम का निर्माण।
- नए जल स्रोतों का सृजन और सूखाग्रस्त इलाके में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  व्यावसायिक भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना।
- पौधशाला सृजन और सघन पौधरोपण अभियान चलाना।
- सौर ऊर्जा का उपयोग और बिजली की बचत को बढ़ावा देना।
- वैकल्पिक फसलों, ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती और अन्य नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा।
- जल –जीवन–हरियाली के लिए जागरूकता अभियान चलाना।

जल की उपलब्धता का सीधा सम्बन्ध हरीतिमा से है। बिहार से झारखण्ड के अलग होने के साथ राज्य में प्रायः सात प्रतिशत क्षेत्र में प्राकृतिक जंगली क्षेत्र बच गया था। बाग–बगीचों को मिला देने पर कुल हरित पट्टी 10 प्रतिशत के आसपास थी। बिहार सरकार ने हरित पट्टी के विकास हेतु व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया जिसे अब और भी तीव्र किया जा रहा है। आज की तिथि में यह हरीतिमा 15 प्रतिशत तक पहुँच गयी है। अगले तीन वर्ष मे इसे बढ़ाकर 17 प्रतिशत तक पहँचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब राज्य का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अपनी सभी 180 नर्सरियों की पौध निर्माण क्षमता बढ़ाकर 4 करोड़ प्रति वर्ष करने में लगा हुआ है। अभी यह क्षमता मात्र 1.60 करोड़ पौधे तैयार करने की है। विगत 21 जुलाई 2019 को दरभंगा जिले में एक लाख पौधे रोपने का महाअभियान चलाया गया। जिले के सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं, क्लब एवं पार्क में यह वृक्षारोपण हुआ। जिले में वन विभाग की चार और 32 निजी नर्सरियों की ओर से पौधे उपलब्ध कराये गए। उधर राज्य स्तर पर वन विभाग की ओर से वर्ष 2019 में एक करोड़ एवं मनरेगा की ओर से 50 लाख पौधरोपण का महत्वकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। यह भी निर्णय किया गया है कि सड़कों के चौड़ीकरण एवं अन्य निर्माण के लिए अब पेड़ों को काटने के बदले उन्हें स्थानान्तरित करने का प्रयोग हैदराबाद की एक कम्पनी के सहयोग से किया जा रहा है। 1 से 15 अगस्त 2019 तक वन महोत्सव मनाया गया। पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष प्रतीकात्मक रूप से रक्षाबन्धन के दिन पेड़ों को रक्षासूत्र बाँधकर उन्हें बचाने का भी संकल्प लिया जाता है। झारखण्ड के अलग होने के बाद राज्य के पहले कृषि रोड मैप (2012–17) के दौरान 24 करोड़ पौधरोपण के लक्ष्य के विरूद्ध 18 करोड़ 47 लाख पौधे लगाये गए। समस्तीपुर

जिले की हरपुर बोचहाँ पंचायत ने मनरेगा योजना के अन्तर्गत 1.17 लाख पौधे लगाकर राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन पंचायत का दर्जा पाया है। इसी जिले के उजियारपुर प्रखण्ड के चाँदचैर मथुरापुर निवासी अधिवक्ता श्री रामपुनीत चौधरी ने पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर अखिल भारतीय जल योद्धा संग्राम समिति के तत्वावधान में सभी जिलो के तालाबों और कुओं की सूची प्राप्त की।

राज्य के सभी 38 जिलों में ''जल–जीवन–हरियाली'' योजना के अन्तर्गत कम से कम 10–10 भवनों में भवन निर्माण विभाग द्वारा पानी बचाने की योजना पर काम प्रारंभ किया जा रहा है। गाँधी जयन्ती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 से यह काम प्रारंभ हुआ। तीन हजार वर्गफुट की छत वाले सरकारी भवन में एक यूनिट व इससे अधिक होने पर दूसरी यूनिट बनायी जायेगी। राज्य भर में कुल 7922 यूनिट बनाने में 64.5 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। भवन निर्माण विभाग के अधीन पाटलिपुत्र कार्य प्रमण्डल में प्रयोग के तौर पर एक सरकारी आवास पर इस कार्य को पूरा कर वर्षा पानी के संग्रह का काम प्रारंभ कर दिया है। सहरसा एवं पूर्णिया प्रंमडलों में जहाँ जमीन के नीचे बालू मिट्टी है वहाँ बोरिंग करने पर प्रति यूनिट 45 हजार रूपये खर्च होंगे। जमीन के नीचे पानी ले जाने से पहले उसे चार बार साफ किया जायेगा। जहां जमीन के नीचे बालू मिट्टी नहीं है वहां इस पर 85 हजार रूपये प्रति यूनिट खर्च होंगे। छतों पर गिरने वाले वर्षाजल को पानी की पाइप के सहारे पहले एक स्थान पर लाया जायेगा। भवन निर्माण विभाग ने 2014 के बाद जिन भवनो को बनाया है उनमें वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था की हुई है। पटना स्थित सरदार पटेल भवन (पुलिस मुख्यालय) में सात रेन वाटर होर्वेस्टिंग यूनिट हैं।

राज्य के नगर विकास एवं आवासन विभाग ने पेयजल उपयोग शुल्क (Water User Charge) नीति 2019 का मसौदा तैयार किया है। मसौदे को घर के क्षेत्रफल के आधार पर तीन वर्गो में बाँटा गया है। पानी के लिए अब सालाना 360 से 1500 रू0 तक देना होगा। इस हेतु कोई मीटर नहीं लगाया जायेगा। राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं से पेयजल उपयोग शुल्क प्रोपर्टी टैक्स संग ही वसूला जायेगा।

केन्द्र सरकार द्वारा ''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्रालय से इसके तहत 55 lpcd (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) पानी देने का लक्ष्य रखा है जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु सदृश राज्यों ने इसे बढ़ाकर 70 lpcd करने की माँग की है।

बिहार जल जीवन हरियाली योजना की खास बातें

- 2022 तक तीन साल में जल जीवन हरियाली योजना पर 24 हजार 524 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- योजना को मिशन मोड पर पूरा करने के लिए जल–जीवन–हरियाली मिशन का गठन किया गया है। यह योजना सभी प्रखंडों व पंचायतों के लिए है।
- मनरेगा के तहत पिछले दो वर्षों में अभियान चला कर 1 करोड़ पौधे लगाए गए।
- पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ मिलकर 2019–20 में लगभग 1 करोड़ 25 लाख पौधे लगे।
- आहर, पोखर, छोटी नदियों, पुराने कुओं को सुदृढ़ किया जाएगा।
- चापाकल, कुआं, सरकारी भवन में जल संचय के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा।
- छोटी नदियों, नालों और पहाड़ी क्षेत्र में चेकडैम का निर्माण होगा।
- ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, सीएनजी आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा।

पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए खेतों में पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। किसानों को पराली प्रबंधन कृषि यंत्रों पर 75 से 80 फीसदी तक अनुदान का प्रावधान है।

गया जनपद ने विगत कई दशकों से अनियमित वर्षा एवं कई वर्षों से उत्पन्न जल संकट से निजात पाने के लिए वर्ष 2019– 20 में बृहद कार्यक्रम चलाएं। जिले के सभी पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, ग्राउंड वाटर (भूजल स्तर) व सरफेस वाटर लेवल को बढ़ाने हेतु व्यापक पैमाने पर चेक डैम, रिचार्ज बोरवेल, रूफ़ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, सोख्ता निर्माण, खाइयों, पइन व आहर का निर्माण कराया गया। पर्यावरण में बदलाव हेतु तथा वर्षा हेतु बादलों को आकर्षित करने के लिए लगभग 16 लाख पौधे लगाए गए। परिणाम स्वरूप वर्ष 2020 में गया का भू–जल स्तर काफी अच्छा रहा साथी ही गया में जल संकट नगण्य रहा है। यही कारण है कि वर्तमान वर्ष में कहीं भी जलापूर्ति के लिए टैंकर की आवश्यकता नहीं पड़ी। जबकि विगत वर्ष लगभग 188 टैंकरों से प्रभावित ग्रामों में जल आपूर्ति की गई थी। आइए हम एक नजर डालते हैं उन योजनाओं पर जिनके सहारे यह सफलता हासिल की जा सकी है।

भू–जल उद्भव के अंतर्गत किये गए कार्य

रिचार्ज बोरवेलः एक रिचार्ज बोरवेल कटाई वाली सतह के पानी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है, जहाँ अपवाह का पानी रेत और छोटे पत्थरों से बने एक प्राकृतिक फिल्टर से गुजरना शुरू होता है। रिचार्ज बोरवेल भूजल के स्तर में वृद्धि करता है, पानी की गुणवत्ता को बढ़ाता है तथा यह पर्यावरण के अनुकूल जल संरक्षण विधि है। गया के विभिन्न प्रखण्डों में कुल–1279 रिचार्ज बोरवेल का निर्माण किया गया है।

रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंगः यह वह तकनीक है जिसके माध्यम से बारिश के पानी को छत की कैचमेंट एरिया से पानी को कैप्चर किया जाता है और जलाशयों में संग्रहित किया जाता है। सतह के पानी के भंडारण के अन्य तरीकों की तुलना में यह विधि कम वाष्पीकरण के कारण पानी के नुकसान की मात्रा को कम करता है।

रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बारिश के पानी का संग्रहण किया जाता है, जो अमूमन हमारे ध्यान नहीं देने के कारण बर्बाद हो जाता है। गया में अब तक 884 रूफटॉप वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

जिला प्रशासन ने सभी सरकारी संस्थानों के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य किया है। कृषि विज्ञान केंद्र मेलों और जल चौपालों के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता पैदा की गयी है।

विश्व विख्यात वाटर मैन रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता डॉ राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए सामुदायिक जागरूकता सृजन के लिए जिले में आमंत्रित किया गया था। जिनके नेतृत्व में कई दिनों तक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। जल संरक्षण के लिए लोगों को जुटाने के लिए जल यात्रा, सन्ध्या चैपाल और जल पंचायत का आयोजन किया गया। जागरूकता पैदा करने की प्रक्रिया को और आगे ले जाने के लिए प्रत्येक इलाके से एक लीडर (जल नेता) का चयन किया गया है।

सामुदायिक जागरूकता : लोगों को अपनी पंचायत की आवश्यकता को निर्दिष्ट करने के लिए प्रत्येक पंचायत में चौपाल आयोजित की गई। सहभागी ग्रामीण दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, स्थानीय जनता की मदद से समस्याओं की पहचान की गई और उनके सुझावों के अनुसार समाधान तैयार किए। इससे प्रशासन को निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने में मदद

मिली, जिसके कारण जल संरक्षण के लिए सामुदायिक स्वामित्व आंदोलन हुआ। वाटर मैन ने रसलपुर तालाब को गोद लिया है।

चेक डैम निर्माण : चेक डैम पानी के वेग को नियंत्रित करने, मिट्टी के संरक्षण और भूमि में सुधार के लिए बनाया गया एक छोटा बांध है। भूजल बढ़ाने के लिए गया में चैक डैम शुष्क क्षेत्रों में बनाए गए हैं।

गया जिले के 24 प्रखण्डों में 329 चेक डैम बनाए गए हैं, जो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। ये पानी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं तथा पर्यावरण के अनुकूल जल संरक्षण करते हैं।

खाइयाँ : खाइयाँ लंबी, संकीर्ण अवसाद हैं जो जमीन की ढलान को तोड़कर वर्षा कटाई को बढ़ाती हैं और इसलिए जल अपवाह (जल निकास) के वेग को कम करती हैं। खेत की नमी के स्तर को बनाए रखने में खाइयों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है जो अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। गया जिला में 2000 से अधिक खाइयों का निर्माण किया गया है।

सोख पिट : सोख गड्ढें ढके हुए, छिद्रपूर्ण दीवार वाले चैम्बरयुक्त वे गड्ढे हैं, जो पानी को धीरे–धीरे जमीन में सोखने की अनुमति देते हैं। बिहार सरकार की योजना ''हर घर नल का जल'' के साथ–साथ पानी की न्यूनतम बर्बादी सुनिश्चित करने के लिए हर हैंडपंप कनेक्शन के साथ गड्ढे बनाए गए हैं। केवीके मेलों और जल चौपालों के माध्यम से स्थानीय जनता को जागरूक करने के लिए जागरूकता पैदा की जा रही है। जिले भर में 17,418 सोख्ता का निर्माण किया गया है।

जल निकायों का कायाकल्प : आहर और पइन दक्षिण बिहार के लिए स्वदेशी फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हैं और गया जिले के लिए सिंचाई का पूर्व स्रोत रहा है। आहर तीन तरफ तटबंधों के साथ वाला जलाशय है और जल निकासी लाइनों के अंत तक बने रहता है, नालियां एवं पईन डायवर्जन चैनल हैं, जो सिंचाई के लिए नदी से आहर में पानी लाने का कार्य करती हैं। यह परियोजना डुमरिया, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, डोभी एवं वजीरगंज में मुख्यतः क्रियान्वित है। जिले भर में 1662 आहर व पईन का कायाकल्प किया गया है।

पौधरोपण : रैलियों, प्रतियोगिताओं, जल यात्राओं और भित्तिचित्रों के माध्यम से जिले भर में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया। सघन वृक्षारोपण सार्वजनिक संस्थानों, सड़क के किनारे और बंजर क्षेत्रों में किया गया। 500 से अधिक पेड़ लगवाकर, पुरस्कार देकर, संस्था और परिवारों को सम्मिलित कर जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है।

''एक बच्चा एक पौधा'' के तहत स्कूल परिसर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया गया है, पौधे का नाम उस बच्चे के नाम पर रखा गया, जो इसके देखभाल के लिए जिम्मेदार था। जल शक्ति अभियान और जल जीवन हरियाली के दौरान जिले में लगभग 16,00,000 पौधे रोपे गए।

उल्लेखनीय है कि पौधे व वृक्ष पर्यावरण को स्वच्छ रखने, गर्मी के प्रभाव को कम करने एवं वर्षा जल को आकर्षित करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। गया में किए गए व्यापक पौधारोपण का प्रभाव दूरगामी होगा। आने वाली पीढ़ी तथा आज के बच्चे इसका सुप्रभाव अपने जीवन काल में देखेंगे। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सदैव अधिक से अधिक पौधारोपण की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि जल शक्ति अभियान के अंतर्गत बेहतरीन कार्य करने के लिए गया जिला को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

गया में 2019 में भूमिगत जल स्तर रिकार्ड 43.16 फीट नीचे चला गया था और 100 से ज्यादा गांवों में चापाकल और बोरिंग पूरी तरह से फेल हो गये थे और महीनों तक जिला प्रशासन प्रतिदिन 188 टैंकरों से इन इलाकों में जलापूर्ति करता था।

जुलाई 2019 में पीएम मोदी ने जल शक्ति योजना और सीएम नीतीश कुमार ने दिसंबर में जल जीवन हरियाली योजना की शुरूआत की थी. इन दोनों योजनाओं का असर बिहार के गया जिला में देखा जा रहा है। दरअसल पिछले कई सालों की अपेक्षा जिला के भूमिगत जल स्तर में काफी सुधार हुआ है। राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की तरफ से जारी आंकड़ो के मुताबिक पिछले कई सालों की अपेक्षा मई 2020 में भूमिगत जलस्तर में औसतन 17.63 फुट का सुधार हुआ है। पिछले साल मई माह में जिले में औसत भूमिगत जल का स्तर 43.14 फुट पर था जो इस साल के मई माह में औसतन 25.51 फुट पहुंच गया है, जो अभी तक के रिकार्ड में ऐतिहासिक है।

सूख गए थे 100 से अधिक गांवों के हैंडपंप

पिछले कुछ सालों के आंकड़ों की बात करें तो औसत भूमिगत जलस्तर वर्ष 2018 में 40.33 ,2017 में 40.27, 2016 में 40.21, 2015 में 40.23, 2014 में 40.15, 2013 में 40.13 और वर्ष 2012 में 42.64 फुट था। गया के डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि पिछले साल 2019 में भूमिगत जल स्तर रिकार्ड स्तर 43.16 फीट नीचे चला गया था और 100 से ज्यादा गांवों में चापाकल और बोरिंग पूरी तरह से फेल हो गये थे। महीनों तक जिला प्रशासन प्रतिदिन 188 टैंकरों से इन इलाकों में जलापूर्ति करता था पर इस साल अभी तक किसी भी गांव में टैंकर की डिमांड नहीं हुई है। चापाकल के सूखने की सूचना भी न्यूनतम मिल रही है।

बारिश ने की मदद

भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के कई कारण हैं, पहला कारण है कि इस मौसम में नवंबर और दिसंबर 2019 माह से ही बारिश पर्याप्त मात्रा में हुई है और सबसे बड़ी वजह पीएम नरेन्द्र मोदी के जल शक्ति अभियान और सीएम नीतीश कुमार की जल–जीवन–हरियाली योजना है जिसके तहत लाखों पेड़ लगाने के साथ ही भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए कई योजनाओं पर काम किया गया है।

जल शक्ति अभियान में गया जिले का रिकार्ड रहा था टॉप

पेयजल संकट से जूझ रहे देश के 256 जिलों में पीएम मोदी की पहल पर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई से 15 सितंबर 2019 तक को जल शक्ति अभियान की शुरूआत की गयी थी और संबंधित सभी जिलों में कराये जा रहे काम को लेकर आपस में कई चरणों में प्रतियोगिता भी कराई गयी थी। सितंबर माह में हुई फाइनल प्रतियोगिता में 81 प्वाइंट के साथ गया जिला पूरे देश में प्रथम रैंक लाया था। तेलंगाना का महबूबनगर 66.16 अंक के साथ दूसरो, आंध्र प्रदेश का कडपा 63.70 अंक के साथ तीसरे और झारखंड का धनबाद 62.57 अंक के साथ चौथे स्थान पर रहा।

इन चीजों का किया गया निर्माण

इसमें बिहार के गया समेत कुल 12 जिले शामिल हुए थे। इस योजना के तहत जिले के सभी पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया जिसमें ग्राउंड वाटर व सरफेस वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में चेक डैम, रिचार्ज बोरवेल, रूफ़ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, सोख्ता निर्माण,

खाइयों, पइन व आहर का निर्माण कराया गया। जिले के विभिन्न प्रखण्डों में कुल 1279 रिचार्ज बोरवेल एवं 884 रूफटॉप का निर्माण कराया गया।

वाटरमैन राजेन्द्र सिंह ने भी नीतीश की योजना को दिया था समर्थन

पीएम के जल शक्ति अभियान का पहला चरण सितंबर में संपन्न होने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूरे राज्य में जल–जीवन–हरियाली योजना की शुरूआत करने की घोषणा की थी। इस योजना की भूमिका जून 2019 में सीएम के गया दौरा के समय ही बन गयी थी, जब वे हीटवेव से मगध प्रमंडल में 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद गया दौरे पर आये थे और विशेषज्ञों द्वारा उन्हें हीटवेव की वजह ज्यादा तापमान के साथ ही ग्राउंड और सरफेस वाटर लेबल में कमी होना बताया गया था। सीएम की जल–जीवन–हरियाली की घोषणा का समर्थन वाटरमैन राजेन्द्र सिंह ने भी किया था। सीएम की इस योजना के औपचारिक उद्घाटन से पहले ही राजेन्द्र सिंह ने 18 अक्टूबर को गया में सीता कुंड से रसलपुर तक 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर लोगों से जलस्रोतों को बचाने की अपील की थी।

हिंदी भारत की अमरवाणी है। यह स्वतंत्रता और सम्प्रभुता की गरिमा है।

–माखनलाल चतुर्वेदी